C M Y K

साप्ताहिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

रायगढ़, शुक्रवार
04.08.2017
श्रावण शुक्ल 2
पृष्ठ 8, मूल्य 3

SJU Govt. Registered Social Justice Union

Web: www.nyaysakshi.com
3 देखें .... व्यापम घोटाले में .... 6 देखें मनोरंजन में ....
» वर्ष-1 » अंक-19 »

खास खबर

उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिकी शहरों तक होगी पहुंच

वाशिंगटन,(आरएनएस)। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) का फिर से परीक्षण किया है। इस माह में इस तरह का यह दूसरा परीक्षण है। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया का यह 12 वां मिसाइल परीक्षण है। मिसाइल एक हजार किमी की दूरी तय करने के बाद जापान के समुद्र में जाकर गिरी। अमेरिका के रक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षण सुबह 10.41 बजे (न्यूयार्क समय के अनुसार) किया गया। अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका के लिए भी वह खतरा है। इसका संज्ञान लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संसद ने हाल ही में रूस, इरान के साथ उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए थे। माना जा रहा है कि उसके जवाब में प्योंगयांग ने यह परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है कि अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। यॉन्हप ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि उत्तर कोरिया के मिसाइलों की जद में अमेरिका के लॉस ऐंजिलिस समेत कई दूसरे शहर भी आ सकते हैं। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने 4 जुलाई को पहले अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था।

लंदन में नवाज शरीफ के बच्चों की भी है विदेशी कंपनी और प्रॉपर्टी

इस्लामाबाद, (आरएनएस)। पनामा मामले की जांच ने 15 महीने पहले खुलासा किया था कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के हाइड पार्क लंदन में नवाज के बच्चों द्वारा चार में से तीन विदेशी कंपनियों का सेटअप किया गया था। इससे पहले हजारों ऐसे दस्तावेजों के बारे में पता लगाया गया जिसे पनामैनियन लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका (एमएफ) द्वारा संचालित किया जाता था और यह राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों से जुड़े अपतटीय फर्मों से संबंधित हैं। इन दस्तावेजों से पता चला कि उनकी बेटी मरियम सफ्दर और बेटे हुसैन तथा हसन नवाज शरीफ ने 7 करोड़ के गण के लिए लंदन स्थित चार प्रॉपर्टी को ड्यूश बैंक के पास गिरवी रख दिया था। इसके अलावा बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने दो अन्य अपार्टमेंटों की खरीद के लिए उन्हें पैसे दिये। दस्तावेजों के अनुसार, दो विदेशी कंपनियों नेस्कोल लिमिटेड और नेल्सन होल्डिंग्स लिमिटेड को क्रमशः 1993 और 1994 में बीवीआई में शामिल किया गया था। फरवरी 2006 में मरियम ने एकल शेयरधारक के रूप में नेस्कोल लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। बाद में मरियम को दोनों कंपनियों का लाभकारी मालिक बना दिया गया। अक्टूबर 2008 में, ड्यूश बैंक ने उन्हें 7 करोड़ जीबीपी तक के क्रॉस कॉन्ट्रिब्यूटेड गण को मंजूरी दी थी। 2012 में, वित्तीय जांच एजेंसी (एफआईए) से पूछताछ के बाद, मिनर्वा ट्रस्ट एंड कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड के खुलासे में सामने आया कि युके स्थित दो कंपनियों के लाभकारी मालिक के स्वामित्व मरियम सफ्दर ही थीं। एमएफ ने एफआईए को ब्योरा दिया कि जुलाई 2014 तक मरियम नेस्कोल और नेल्सन दोनों कंपनियों की मालिक थीं। इसके बाद कंपनियों का कानूनी फर्म और एजेंट बदल दिया गया। नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन, की भी एक कंपनी बीवीआईः हैंगॉन प्रॉपर्टीज होल्डिंग लिमिटेड थी, जिसे फरवरी 2007 में 50,000 डॉलर की पूंजी के साथ शामिल कर लिया गया था।

रूस पर प्रतिबंध वाले विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे ट्रंप : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन,(आरएनएस)। राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा मंजूरी प्राप्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है जो रूस पर नये प्रतिबंध लागू करेगा। व्हाइट हाउस ने घोषणा किया कि कांग्रेस द्वारा मंजूर किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षर करेंगे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया कि ट्रंप विधेयक के फाइनल वर्जन की समीक्षा के बाद बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। वहीं ट्रंप ने रूस के अमेरिकी चुनावों में किसी भी तरह के दखल की बात को पूरी तरह से नकार दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा हुकाबी सैंडर्स ने बताया, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक के शुरुआती ड्राफ्ट को पढ़ा और कुछ मामलों पर समझौता वार्ता की,' सैंडर्स ने आगे बताया, अब उन्होंने विधेयक के फाइनल वर्जन की समीक्षा की है जो इनके समझौता चर्चा के बाद संशोधित की गयी। इसे देखने के बाद ट्रंप ने मंजूरी दे दिया है और इसपर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक को रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन ने मॉस्को विरोधी बताया था। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव ने यूएस सचिव के साथ कहा कि अमेरिका के साथ बड़े ग्लोबल मामलों पर बातचीत के लिए रूस तैयार है। रूस विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज के मामले में आम सहमति बनाई है। अमेरिका ने पहले ही रूसी नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। पिछले साल दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 35 रूसी अधिकारियों को वापस भेजने का निर्देश दिया था। वहीं रूस में तैनात अमेरिकी को हटाये जाने पर भी नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही रूस ने घोषणा किया कि वह अमेरिकी राजनयिकों को बाहर निकाल रहा है और संपत्ति जब्त कर रहा है। शुक्रवार को मॉस्को ने कहा कि अमेरिका को अपने दूतावास व कंसुलेट में कर्मचारियों की संख्या कम करके 450 करना होगा, इतनी ही संख्या के लिए अमेरिका में भी रूस दूतावास को निर्देश दिया गया है। रूस वैसे अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगा रहा है जो दो डिप्लोमेटिक सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं।

कश्मीर में तिरंगे के डंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा : महबूबा मुफ्ती

नई दिल्ली,(आरएनएस)। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 35 ए में बदलाव के मुद्दे को उठाते हुए चेतावनी दी कि अगर इसमें बदलाव होता है तो कश्मीर में तिरंगे की सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। नई दिल्ली में 'अंडरस्टैंडिंग कश्मीर : ए कंपोजिट डॉयलॉग ऑन पीस, स्टैबिलिटी एंड द वे फॉरवर्ड' पर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नेतृत्व के मामले में वह बेजोड़ हैं, लेकिन आज जरूरत है कि दोनों सरकारें साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर को मौजूदा संकट से बाहर निकालें। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और कहा कि उनके लिए भारत का अर्थ इंदिरा थीं। महबूबा ने कहा कि जब वह होश संभाल रही थीं तो उनके लिए भारत की प्रतिनिधि इंदिरा गांधी थीं। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि भारत का मतलब इंदिरा गांधी है। उनका इशारा नेहरू-गांधी परिवार के प्रति संघ परिवार की चिढ़ को लेकर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना सरासर गलत होगा। अगर ऐसा हुआ तो तिरंगे को यहां थामने वाला कोई नहीं होगा। यहां के लोग विशेष प्रकृति के हैं। वह भारत में रहते हैं, क्योंकि यही एक देश है जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ प्रार्थना करते हैं। यहां भगवान की मूर्ति को मुस्लिम कलाकार अपने हाथों से तराशते हैं। उनका कहना था कि विविधता के मामले में कश्मीर को छोटा भारत कहा जा सकता है। मुफ्ती के अनुसार, आज के दौर में जरूरत है कि कश्मीर में गूंज रहे आजादी के नारे को किसी दूसरे वाक्य से तब्दील किया जाए। उन्होंने इशारों में कहा कि सीमा पार रह रहे लोगों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने टीवी पर कश्मीर को लेकर चलने वाले डिबेट पर कहा कि ये लोग गलत तस्वीर बयान कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों ने विभाजन के बाद भारत को अपना देश माना और जो आम चुनावों में शिरकत करते आ रहे हैं, उन्हें कमजोर करना राष्ट्रीयता के लिहाज से गलत होगा। उन्होंने कहा, 'संविधान के धारा 370 से हमें विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 35 ए सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर इसमें बदलाव होता है तो जो कश्मीर में इतने खतरों को झेलते हुए देश के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, वे वहां नहीं रुकेंगे और इसके बाद तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। इस धारा में किसी तरह के हेरफेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रावधान लागू कर आप अलगाववादियों पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि उन सैन्यबल को कमजोर कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वीकृत कर चुनावों में हिस्सा लिया है। वे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उन्हें कमजोर बना रहे हैं। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को उनके मौलिक अधिकारों तक से वंचित कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ गठित करने की बात कही है जो छह हफ्तों के बाद इस पर सुनवाई शुरू करेगी।

भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू

नई दिल्ली,(आरएनएस)। विवादित मुस्लिम धर्मप्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने नाइक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह जानकारी शुक्रवार को एनआइए ने दी। जांच एजेंसी ने कहा कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने हाल ही में नाइक को भगोड़ा घोषित किया है। इसके बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नाइक के खिलाफ आतंकवाद और मनी लॉड्रिंग के आरोपों की जांच एनआइए कर रही है। एक जुलाई 2016 को यह धर्मप्रचारक भारत से भाग निकला। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया था कि नाइक के भाषण से प्रभावित होकर ही वह जिहाद में शामिल हुए हैं। आतंकी के दावे की जानकारी सामने आने के बाद वह भाग निकला। ऑनलाइन पोर्टल मिडल ईस्ट मिरर के मुताबिक, सऊदी अरब ने नाइक को नागरिकता प्रदान कर दी है। हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।

पार्टी में रहना चाहते हैं बेंगलुरु भेजे गए विधायक : कांग्रेस

बेंगलुरु,(आरएनएस)। गुजरात में राज्य सभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खलबली मची हुई है। विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में इसे रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। वहां उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा गया है। सोमवार को इस संबंध में कांग्रेस ने कहा कि सभी विधायक पार्टी में शामिल रहने को इच्छुक हैं। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि विधायक अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं रह रहे हैं। वे स्वतंत्र तरीके से रिजॉर्ट के अंदर-बाहर घूम रहे हैं। हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगा रखी है। वहीं भाजपा राज्य अध्यक्ष जीतू वघानी ने आज कहा कि एक आदमी को जिताने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी नाकाम हो रही है। अब देश में कोई कांग्रेस नेतृत्व नहीं बचा है, क्योंकि इसके खुद के सदस्यों को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है। वघानी ने यह भी कहा कि गुजरात में बाढ़ की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। गौरतलब है कि गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही मची है। अब तक 186 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों को खरीदने व धमकाने का आरोप लगाया था। हालिया समय में कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं।

गैर राजनीतिक गतिविधियों से लोगों को जोड़े सांसद : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली,(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सांसदों से अपील की है कि वो गैर राजनीतिक गतिविधियों से लोगों को जोड़ें। प्रधानमंत्री आवास पर वह सांसदों से बातचीत कर रहे थे। पीएम ने कहा कि बदलते राजनीतिक परिवेश में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों से भाजपा सांसद संवाद बढ़ाए। सांसदों ने मोदी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना की, जिसके तहत गरीब व बेसहारा वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। सांसदों ने इस मौके पर अपनी-अपनी सलाह भी दी। इस बैठक का आयोजन संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने किया था। इस दौरान दोनों राज्यों के सभी सांसद मौजूद रहे, इनमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व थावर चंद गहलोत भी मौजूद रहे। ये सभी इन दोनों राज्यों से चुनकर आए हैं।

मिठाई पर चांदी के वर्क के इस्तेमाल संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर रोक

नई दिल्ली,(आरएनएस)। मिठाई पर लगाए जाने वाले चांदी के वर्क को बनाने में पशु संबंधी सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। संशोधन के बाद इसे एक अगस्त से लागू किया जाना था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार की अधिसूचना पर अमल हुआ तो इन वस्तुओं के निर्माण से जुड़े करीब डेढ़ लाख लोग बेरोजगार हो जाएगा। 15 जुलाई 2016 की अधिसूचना में लगाई थी पाबंदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 जुलाई 2016 को अधिसूचना लाकर चांदी के वर्क के निर्माण में पशु सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी मिठाइयों में चांदी के वर्क का इस्तेमाल होने पर उस पर मांसाहार का ठप्पा लगा होने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार करे। उनके आदेश की कॉपी और याचिका को स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि वह इस पर कुछ निर्णय ले सकें। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। सरकार की अधिसूचना को हाई कोर्ट में पांच लोगों ने चुनौती दी है। यह लोग चांदी के वर्क बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं।

तेजप्रताप की बढ़ी मुश्किल, निगरानी टीम करेगी मिट्टी घोटाले की जांच

पटना,(आरएनएस)। अब विजिलेंस जांच के घेरे में हैं लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और पिछली सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव। निगरानी विभाग ने वन एवं पर्यावरण विभाग से उन फाइलों की मांग की है, जो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए लाखों रुपये की मिट्टी खरीद से जुड़ी हैं। तेजस्वी यादव की कंपनी की बेली रोड स्थित उस जमीन से जू के लिए मिट्टी खरीदी गई थी, जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनना था। सीबीआइ ने भी उस जमीन को बेनामी संपत्ति वाले से केस से जोड़ा है। पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं होने की वजह से मॉल का निर्माण रोक दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिजन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आयकर विभाग, सीबीआइ और प्रवर्त्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियां लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती को बेनामी संपत्ति के मामले की जांच कर रही हैं। इस बीच राज्य का निगरानी विभाग भी लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है।

बिना टेंडर जारी किए खरीदी गई मॉल की मिट्टी

मॉल की मिट्टी खरीद मामले में मुख्य सचिव स्तर से जांच भी की गई। उस समय मुख्य सचिव ने दावा किया था कि खरीद में नियमों की अनदेखी नहीं हुई है।

अब राज्य सरकार अपनी एजेंसी से जांच कराने जा रही। बड़ी राशि से किसी भी सरकारी खरीद के लिए टेंडर निकाला जाना बाध्यकारी है।

90 लाख की मिट्टी खरीद का लगा था आरोप

आरोप है कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए करीब 90 लाख रुपये की मिट्टी खरीद के लिए विभाग से न तो कोई टेंडर निकाला गया था और न ही इस मिट्टी खरीद में सरकारी प्रावधानों का पालन किया गया था।

सुशील मोदी ने उठाए थे सवाल

भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले ऑल में मिट्टी खरीद मामले को उठाया था और लालू परिवार पर आरोप लगाए थे। मोदी ने कहा था कि लाखों रुपये की मिट्टी खरीद मामले में सरकारी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप ने अपने परिवार की जमीन से ही अपने विभाग को मिट्टी खरीदने के लिए तैयार किया। यह गैरकानूनी और अनैतिक मामला है।

माउंट ब्लैंक पर पाए गए मानव अवशेष हो सकते हैं इस हादसे के पीड़ितों की

ग्रेनोबल,(आरएनएस)। फ्रांस की आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैंक पर पाए गए मानव अवशेष करीब 50 साल पहले एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह बात कही गई है। मानव अवशेष की खोज करने वाले डेनियल रोशे हैं, जो विमान हादसों को लेकर जानकारियां जुटाने में दिलचस्पी रखते हैं और मानव अवशेषों की तलाश में माउंट ब्लैंक पर सालों भटकते रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने इससे पहले कभी भी मानव अवशेष के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे। हालांकि इस बार एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। आपको बता दें कि जनवरी, 1966 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैंक के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सभी सवार 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं एयर इंडिया का एक अन्य विमान 1950 में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 48 यात्रियों को जान गंवानी पड़ी थी। डेनियल के अनुसार, उन्हें जो अवशेष मिले हैं, वो 1966 में दुर्घटनाग्रस्त विमान से किसी एक महिला के हो सकते हैं। क्योंकि उन्हें विमान का एक जेट इंजन भी मिला था।

अमेरिकी सीनेटर ने की पाक को दी जाने वाली मदद पर रोक लगाने की मांग

वाशिंगटन,(आरएनएस)। अमेरिकी सीनेट (संसद) में सीनेटर जॉन मैक्केन ने एक विधायी संशोधन विधेयक पेश किया जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने की मांग की। इस विधेयक में कहा गया कि पाकिस्तान अगर तालिबानी और हक्कानी नेटवर्क की मदद जारी रखता है, तो उसके राजनयिक, सैन्य, और आर्थिक खर्चों के लिए दी जा रही मदद पर रोक लगाई जाए। संशोधन का यह कदम राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) 2018 रिपब्लिकन सीनेटर मैक्केन द्वारा अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित करने का हिस्सा है। ताकि युद्धग्रस्त देश संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम न दे सके। मैक्केन शक्तिशाली सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। बता दें कि मेरिकी सीनेट में शुक्रवार को ओबामाकेयर को निरस्त करने संबंधी विधेयक को नामंजूर कर दिया गया। यही नहीं तीन रिपब्लिकन सीनेटर्स जॉन मैक्केन, सुसान कोलिन्स और लिसा मुर्कोवस्की ने पार्टी लाइन को लांघते हुए डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर मतदान किया था। इससे यह विधेयक 49 के मुकाबले 51 मतों से खारिज हो गया था।

अवैध शराब व्यापार में लिप्त विधायक के रिश्तेदार की करोड़ो की संपत्ति जब्त

सूरत,(आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शराब माफिया प्रमोद तांडेल की 30 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। प्रमोद तांडेल दमन से भाजपा विधायक लालू पटेल के साले हैं। वलसाड पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किये जाने के बाद ईडी अधिकारियों ने प्रमोद तांडेल के खिलाफ जांच शुरू की थी। जांच के दौरान, यह पाया गया कि तांडेल ने अवैध रूप से शराब के 3,80,464 बक्से जो 25.5 करोड़ रुपए के थे और वह उन्हें डिस्टिलरी से गुजरात में अलग-अलग बूथधारियों को बेच दिया करता था। रमेश पटेल उर्फ रमेश माइकल को भी 10 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री की गई थी, बताया जाता है कि शराब समुद्र के माध्यम से नवसारी, गुजरात पहुंचाया गया थी। 2012 से 2017 के बीच, तांडेल ने केडब्ल्यू एंटरप्राइज, क्वालिटी वाइन, एस बी लिकर, एसके एंटरप्राइज जैसी कंपनियों से जुड़े खातों में 503.05 करोड़ रुपये जमा किए थे, ये सभी कंपनियां उनके स्वामित्व की थीं। ईडी अधिकारियों ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

किसान आंदोलन में हिंसा के मुख्य आरोपी ने किया आत्म समर्पण

रतलाम,(आरएनएस)। किसान आंदोलन के दौरान ग्राम डेलनपुर में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ के मामले में मुख्य इनामी आरोपी कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ ने शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। यहां से धाकड़ को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। धाकड़ को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने आवेदन लगाया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि 4 जून को किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस दल पर पथराव कर तीन वाहनों में आग लगा दी थी।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र रायगढ़ एवं जशपुर जिले हेतु रिपोर्टर/संवाददाता चाहिए तत्काल संपर्क करें

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन * हेडलबर्ग * से 4 कलर की प्रिंटिंग होती है।
प्रिंटिंग जॉब हेतु तत्काल सम्पर्क करें

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

C M Y K